

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प 10 (108)नवि/3/2010

जयपुर, दिनांक: 16.07.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा (3) की उप धारा(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा को लाखेरी (जिला बूंदी) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:-

| क्र.स. | राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में) | राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में) |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | लाखेरी | LAKHERI |
| 2. | चमावली | CHAMAWALI |
| 3. | नयागांव | NAYAGAON |
| 4. | खरायता (मेज नदी के उत्तर का क्षेत्र) | KHARAYTA (Area North of Maj River) |
| 5. | पापडी (मेज नदी के उत्तर का क्षेत्र) | PAPRI (Area North of Maj River) |

राज्यपाल के आदेश से

(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
6. जिला कलेक्टर, बूंदी।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, लाखेरी।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प 10 (20)नवि/3/1995

जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा (3) की उप धारा(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), राजस्थान, जयपुर को दौसा नगर के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:-

| क्र.सं. | राजस्व ग्राम का नाम | Name of Village |
|---------|-------------------------|----------------------------|
| 1- | हरिपुरा | Haripura |
| 2- | बाढदौसा | Barh Dausa |
| 3- | महेसरा खुर्द | Mahsara Khurd |
| 4- | दौसा खुर्द | Dausa Khurd |
| 5- | डगलाव | Daglao |
| 6- | गणेशपुरा | Ganeshpura |
| 7- | दौसा कलॉ | Dausa Kalan |
| 8- | चक दौसा | Chak Dausa |
| 9- | बीसलवास | Beesalwas |
| 10- | दलेलपुरा | Dalelpura |
| 11- | रूगली | Roogli |
| 13- | रायपुर | Raipura |
| 14- | मोडा पट्टी | Mora Patti |
| 15- | भांकरी | Bhankri |
| 16- | भाकरोटा उर्फ जयचन्दपुरा | Bhankrota Urf Jaichandpura |
| 17- | खेडली | Kherli |
| 18- | सूरजपुरा | Surajpura |
| 19- | मोटलावास | Motalwas |
| 20- | जीरोता खुर्द | Jiroa Khurd |
| 21- | सबलपुरा | Sabalpura |

राज्यपाल के आदेश से

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एके प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, दौसा।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, नगर परिषद्, दौसा।
7. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक